अनुसूची 14– फार्म सं0 562

आदेश पत्रक

आदेश .... ता0.............................. से.............................. तक

जिला – राँची

केस का प्रकार – जमाबंदी संधारण वाद संख्या....22/21-22.... T.R-05/22-23

आदेश / तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
12/9/21	रफीक अंसारी, जमील अख्तर, सोहेल अंसारी, पिता– अजमुद्दीन अंसारी, मौजा– कोकदोरो, थाना सं0– 27, थाना– काँके, जिला– राँची के द्वारा समर्पित आवेदन के अनुसार खाता सं0– 70 जिसका आर0 एस0 खतियान शेख इमाम अली वल्द शेख बन्धु के नाम से कायम है। खतियान के अनुसार मौजा– कोकदोरो, खाता सं0– 70, प्लॉट सं0– 701, रकबा– 95 डीसमील भूमि शेख इमाम अली वल्द शेख बन्धु कौम– जोल्हा किस्म कायमी दर्ज है। जिसका खतियान ऑनलाईन में इन्द्राज है। रफीक अंसारी वगै0 ने अनुरोध किया है कि मौजा– कोकदोरो, खाता सं0– 70, प्लॉट सं0– 701, रकबा– 95 डीसमील भूमि शेख इमाम अली वल्द शेख बन्धु के नाम से जमाबंदी कायम किया जाए। रफीक अंसारी, जमील अख्तर, सोहेल अंसारी को नोटिस निर्गत करे एवं भूमि संबंधित कागजात की मांग करें। अभिलेख दिनांक 25.09.2021 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी 12/9/21 काँके, राँची।
25/9/21	अभिलेख उपस्थापित। रफीक अंसारी, जमील अख्तर, सोहेल अंसारी उपस्थित। रफीक अंसारी वगै0 के द्वारा भूमि संबंधित कागजात समर्पित किया गया (प्रति संलग्न)। अंचल अमीन/राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक– 1032(ii), दिनांक– 25.09.201 द्वारा सुस्पष्ट मन्तव्य सहित जाँच प्रतिवेदन दिनांक 04.10.2021 तक समर्पित करना सुनिश्चित करें तथा संबंधित ग्रामीणों को आम नोटिस निर्गत करें कि किसी प्रकार की आपत्ति हो तो अंचल कार्यालय में कागजात समर्पित करें। अभिलेख दिनांक 12.11.2021 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी 25/9/21 काँके, राँची।
12/11/21.	अभिलेख उपस्थापित। ग्रामिणों को निर्गत नोटिस का तामिला प्राप्त है। किसी भी ग्रामीण के द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया। खतियान का सत्यापन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1294(ii) दिनांक 12.11.2021 द्वारा जिला अभिलेखागार, राँची से पत्राचार किया गया। सत्यापन पत्र प्राप्त होने पर अंचल अमीन, राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का स्पष्ट मंतव्य के साथ अभिलेख उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी 12/11/21 काँके, राँची।
24/11/21	अभिलेख उपस्थापित। जिला अभिलेखागार राँची के पत्रांक–360(ii)/अभि0

Scanned with CamScanner

दिनांक–24.11.2021 से सत्यापन पत्र प्राप्त है। जिसके आलोक में अंचल अमीन, राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। अंचल अमीन द्वारा प्रतिवेदित (प्रति संलग्न) किया गया है कि मौजा– कोकदोरो, खाता सं0– 70, प्लॉट सं0– 701, रकबा– 95 डीसमील भूमि का स्थल जाँच आवेदक एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में नक्शा (प्रति संलग्न) के आधार पर किया। आवेदित भूमि वर्त्तमान में परती है। स्थल जाँच के समय उपस्थित स्थानीय व्यक्तियों से पुछताछ में आवेदित भूमि पर शेख इमाम अली वल्द शेख बन्धु के वंशजों का दखल बतलाया गया। उक्त आधार पर आवेदित भूमि का ट्रेश नक्शा संलग्न करते हुए जमाबंदी खोलने की अनुशंसा की जाती है।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा– कोकदोरो, खाता सं0– 70, प्लॉट सं0– 701, रकबा– 95 डीसमील भूमि का प्रतिवेदन निम्नवत है:–

1. **सर्वे खतियान के अनुसार :–**

मौजा	खतियानी रैयत का नाम	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	लगान	अभियुक्ति
कोकदोरो ~~होवर~~	शेख इमाम अली वल्द शेख बन्धु, कौम जोल्हा साकिन देह	70	701	95 डी0	माल 2 रूपया 13 आना 6 पाई	आवेदक का कब्जा

जिसका लगान पाने वाला बैजु तेली खेवट सं0– 05 खतियान में कायमी दर्ज है।

पंजी II का विवरण :– उक्त भूमि पंजी II से मिलान किया खाता सं0– 70 का जमाबंदी कायम नहीं है। उक्त खाता का ऑनलाईन पंजी II से मिलान भाग 1 के पृष्ट सं0– 70 में शेख मिंजाजान पिता शेख भिखन के नाम से खाता सं0– 33 का रकबा– 52 डी0 कायम है। जिसका प्लॉट सं0– 701 ऑनलाईन में दर्ज है। परन्तु खाता सं0– 33 में प्लॉट सं0– 701 खतियान में नहीं है। प्लॉट सं0– 701, खाता सं0– 70 के अन्तर्गत का 95 डी0 भूमि का प्लॉट है। खतियान की सत्यापित प्रति संलग्न है। खाता सं0– 70 का जमाबंदी कायम करने से खतियानी रकबा से अधिक नहीं होगा एवं दोहरा जमाबंदी नहीं होगा। प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला अभिलेखागार, राँची के पत्रांक– 360(ii)/अभि0, दिनांक– 24.11.2021 के द्वारा खाता सं0– 70 का मूल खतियान का अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर शेख इमाम अली वल्द शेख बन्धु के नाम से जमाबंदी कायम करने का अनुशंसा की गई है।

अतः अंचल अमीन, राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक तथा जिला अभिलेखागार, राँची के सत्यापित प्रति के अनुशंसा के आलोक में शेख इमाम अली वल्द शेख बन्धु के नाम से जमाबंदी कायम करने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सदर राँची को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी
कांके, राँची।

अंचल अधिकारी,
कांके, राँची।

Scanned with CamScanner

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
काँके, राँची।

विषय :— **मौजा— कोकदोरो, थाना सं0— 27 के खाता सं0— 70, प्लॉट सं0— 701 रकबा— 95 डी0 जमीन का जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मौजा— कोकदोरो, थाना सं0— 27 के खाता सं0— 70, प्लॉट सं0— 701 रकबा— 95 डी0 जमीन का राजस्व कागजात से मिलान किया जा निम्नवत् है:—

- **खतियान के अनुसार:—**

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रैयत का नाम	लगान	रकबा
कोकदोरो	70	701	शेख इमाम अली वल्द शेख बन्धु कौम जोल्हा साकिन देह	माल 2 रूपये 13 आना 6 पाई	95 डी0

खेवट सं0— 5 लगान पाने वाला बैजु तेली। उक्त भूमि पंजी II से मिलान किया खाता सं0— 70 का जमाबंदी कायम नहीं है। उक्त खाता का ऑनलाईन पंजी II से मिलान भाग 1 के पृष्ट सं0— 70 में शेख मिंजाजान पिता शेख भिखन के नाम से खाता सं0— 33 का रकबा— 52 डी0 कायम है। जिसका प्लॉट सं0— 701 ऑनलाईन में दर्ज है। परन्तु खाता सं0— 33 में प्लॉट सं0— 701 खतियान में नहीं है। प्लॉट सं0— 701, खाता सं0— 70 के अन्तर्गत का 95 डी0 भूमि का प्लॉट है। खतियान की सत्यापित प्रति संलग्न है। खाता सं0— 70 का जमाबंदी कायम करने से खतियानी रकबा से अधिक नहीं होगा एवं दोहरा जमाबंदी नहीं होगा।

अंचल अमीन के द्वारा ट्रेश नक्शा के साथ प्रतिवेदित किया गया है कि खाता सं0— 70, प्लॉट सं0— 701, रकबा— 95 डी0 भूमि पर खतियानी रैयत शेख इमाम अली वल्द शेख बन्धु के वंशाजों का दखल कब्जा है। अंचल अमीन के द्वारा जमाबंदी कायम करने की अनुशंसा की गई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर शेख इमाम अली वल्द शेख बन्धु के नाम से जमाबंदी कायम करने की अनुशंसा की जाती है।

राजस्व उपनिरीक्षक
काँके।

अंचल निरीक्षक
काँके।

F:\Vijay\Office work\KC.docx-28

Scanned with CamScanner

सेवा में,

अंचल अधिकारी, कांके (रांची)

विषय - मौजा कोकदोरो थाना न. 27 खाता सं० 70 प्लाट सं० 701 रकबा 0.95 एकड़ भू-खण्ड का स्थल जाँच के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- भवदीय पत्रांक 1032(II) दिनांक 25/09/21

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में रा० उप निरीक्षक हल्का सं० (I) के साथ विषयांकित भूमि मौजा कोकदोरो, थाना न० 27 अन्तर्गत खाता न० 70 प्लाट न० 701 रकबा 0.95 एकड़ भूमि का स्थल जाँच सर्वे नक्शा से किया पाया कि वर्तमान में उक्त भूमि परती है, स्थानीय जाँच (पूछ-ताछ) में उक्त भूमि पर खतियानी रैयत शेख डेमान वल्द शेख बन्धु के वंशजो का दखल बतलाया गया। रा० उप० निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर जमाबन्दी कायम करने हेतु अनुशंसा किया जा सकता है। प्रतिवेदन के साथ आवेदित भूमि का ट्रेस नक्शा संलग्न है।

वादिर
24/11/21

अं० अधि०

Digitally signed by DIWAKARPRASAD CHANDRIKAPRASAD DWIVEDI
Date: 2023.05.23 16:58:30 +05:30
Location: 192.168.29.226

Scanned with CamScanner